



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 194-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024 (AGRAHAYANA 15, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 दिसम्बर, 2024

संख्या 9/146/2024-4क II.— हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 257 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से (छ), उपधारा (2), (4) तथा (7) तथा धारा 276 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 257 की उपधारा (5) द्वारा यथापेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सम्भाव्य व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् राज्य सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों के साथ, यदि कोई हो, जो आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, “पिछड़े वर्गों” शब्द, जहां कहीं भी आएँ, के बाद “और पिछड़े वर्गों ‘ख’ ” शब्द, चिह्न तथा वर्णाक्षर रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों में, नियम 70क में, (i) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ख क) राज्य में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या का पांच प्रतिशत, पिछड़े वर्गों ‘ख’ के लिए आरक्षित होगा तथा यदि दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा; तथा ऐसे पद खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति द्वारा, उन नगर परिषदों/समितियों जहां अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों ‘क’ के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, पिछड़े वर्गों ‘ख’, जिनमें पिछड़े वर्गों ‘ख’ की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावित नगर परिषदों/समितियों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लॉट्स द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहां इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों ‘ख’ के लिए इस प्रकार आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों ‘क’ के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या जोड़े जाने पर, राज्य में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या से पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों ‘ख’ के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों ‘क’, पिछड़े वर्गों ‘ख’ तथा

(3849)

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या राज्य में अध्यक्ष के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.— (1) इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों 'ख' के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगरपालिका में पिछड़े वर्गों 'ख' की जनसंख्या, ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की जाए।

व्याख्या.— (2) इस खण्ड के अधीन पचास प्रतिशत के प्रयोजन के लिए राज्य में कुल सीटों के पचास प्रतिशत, राज्य की कुल सीटों के आधे के रूप में लिया जाएगा, जहां दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में तथा जहां दशमलव मान 0.5 से कम है, तो आगामी निम्नतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।"; तथा

(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहाई, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों 'क' और पिछड़े वर्गों 'ख' की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अलग-अलग नगर परिषदों/समितियों में बारी-बारी से होगा, जो खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति द्वारा ज़ा ऑफ लॉट्स द्वारा अवधारित किया जाएगा।”।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।